तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 86/ 2020)

''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड गति के लिए रूपरेखा'' के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना।

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020ः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड गति के लिए रूपरेखा'' के संबंध में परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/ प्रति टिप्पणियां प्राप्त आमंत्रित की थी। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां तथा प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 21 सितम्बर, 2020 तथा 05 अक्तूबर, 2020 निर्धारित की गई थी। समय सीमा को बढ़ाने के लिए उद्योग संघों के अनुरोध पर विचार करते हुए लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि को दिनांक 19 अक्तूबर, 2020 तथा प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

2. अब भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए जैसे कि कोविड–19 प्रकोप के कारण काम कार्य परिदृश्य में कटौती किया जाना, परामर्श पत्र आदि में उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ विश्लेषण की आवश्यकता, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए उद्योग संघ से अनुरोध प्राप्त हुआ है। हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को दिनांक 09 नवंबर, 2020 तक और प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत के लिए दिनांक 23 नवंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। समय बढ़ाने के लिए आगे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में jams@trai.gov.in और sksinghal@trai.gov.in पर प्रस्तुत करें। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री सुनील कुमार सिंघला, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण) के दूरभाष नंबर +91–11–23221509 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/–
(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।